प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 08.11.2023

- **दीपावली त्यौहार पर टप्पेबाजी करने की फिराक में घूम रहे टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर कानपुर देहात पुलिस द्वारा की गयी कडी कार्यवाही।**
- **थाना राजपुर पुलिस की कार्यवाही से 03 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से 500 रु0 व 200 रु0 के नोट की गड्डी जिनमें ऊपर व नीचे एक-एक असली नोट व मध्य में 98-98 सफेद कागज नोट के बराबर कटे हुये, 01 अदद तंमचा 12 बोर मय 03 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर, जोन कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर, रेन्ज कानपुर, श्री प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक जनपद कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना राजपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दीपावली त्यौहार पर टप्पेबाजी करने की फिराक में घूम रहे 03 टप्पेबाजों को आज दिनांक 08.11.2023 समय 03.30 बजे चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पैलावर मोड़ से 03 नफर अभियुक्तगण 1.रासिद पुत्र मुवारक निवासी हिसामपुर थाना करारी जनपद कौशाम्बी उम्र करीब 45 वर्ष 2. इखलाख पुत्र रज्जाक ग्राम नारा थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी उम्र करीब 35 वर्ष 3.हियातउल्ला पुत्र फरोज निवासी ग्राम हिसामपुर थाना करारी जनपद कौशाम्बी उम्र करीब 35 वर्ष को उनके कब्जे से 500 रूपये की दो गड्डी जिनके ऊपर व नीचे 500-500 का एक-एक नोट तथा मध्य में 98-98 सादे कागज नोट के बराबर कटे हुए 04 गड्डी 200 रूपये की जिनमें ऊपर व नीचे एक-एक नोट 200 रूपये का तथा मध्य में 98-98 सफेद कागज नोट के बराबर कटे हुये व 01 अदद तंमचा 12 बोर मय 03 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक बैग में सादे कागज नोटों के बराबर कटे हुये व 03 अदद मोबाइल फोन बरामद कर गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मु0अ0सं0 92/23 धारा 420 भा0द0वि0 बनाम 03 नफर नामजद अभियुक्तगण तथा मु0अ0सं0 93/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम रासिद पुत्र मुवारक निवासी हिसामपुर थाना करारी जनपद कौशाम्बी उम्र करीब 45 बर्ष व मु0अ0सं0 94/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम इखलाख पुत्र रज्जाक ग्राम नारा थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी उम्र करीब 35 बर्ष व मु0अ0सं0 95/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम हियातउल्ला पुत्र फरोज निवासी ग्राम हिसामपुर थाना करारी जनपद कौशाम्बी उम्र करीब 35 वर्ष अभियोग पंजीकृत किये गये। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जेल भेजा जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर अभियुक्तगणों द्वारा बताया कि साहब हम लोगों को माफ कर दो हम लोग गलत धन्धे में पड़ गये है। दीवाली का त्यौहार आ रहा है। बाजारों में भीड़ भाड रहती है व लोग सामान की खरीददारी करने आते है। इन त्यौहारों के अवसर पर लोगों को धोखा देकर अपनी बातों में उलझाकर पैसा दोगुना करने की बात कहकर उनसे धोखे से रूपये ले लेते हैं और यह कहते हैं कि जितने आपने रूपये दिये हैं उससे दोगुना आपकों दे रहे है। यह ऊपर वाले का प्रसाद है। अपने घर पर जाकर देखना पैसा दोगुना मिलेगा। पैसा देते समय केवल ऊपर से गड्डी दिखाते हैं। तमंचा व कारतूस इसलिये रखते है कि कहीं हम लोगों की असलियत किसी को पता चल जाये तो इससे अपना बचाव करके भाग सकें। हम तीनों इलाहाबाद से कानपुर से यहां चले आये थे लेकिन किसी व्यक्ति को यहाँ पर अपने झाँसे में नहीं फसा सकें। अब हम लोग औरैया जाने की फिराक में थे कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-

1. रासिद पुत्र मुवारक निवासी हिसामपुर थाना करारी जनपद कौशाम्बी उम्र करीब 45 वर्ष।
2. इखलाख पुत्र रज्जाक ग्राम नारा थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी उम्र करीब 35 वर्ष।
3. हियातउल्ला पुत्र फरोज निवासी ग्राम हिसामपुर थाना करारी जनपद कौशाम्बी उम्र करीब 35 वर्ष।

अभियुक्त रासिद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 92/23 धारा 420 भा0द0वि0 थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 93/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।

3. मु0अ0सं0 203/19 धारा 3,5,8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना करारी जनपद कौशाम्बी।

अभियुक्त इखलाख उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 92/23 धारा 420 भा0द0वि0 थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 94/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त हियातउल्ला उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 92/23 धारा 420 भा0द0वि0 थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 95/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 58/20 धारा 147,148,149,323,325,427,452,504,506 भा0द0वि0 थाना करारी जनपद कौशाम्बी।
4. मु0अ0सं0 255/16 धारा 323,452,504,506 भा0द0वि0 थाना करारी जनपद कौशाम्बी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार मिश्र थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।
2. उ0नि0 श्री रजनीश कुमार वर्मा थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।
3. उ0नि0 श्री अभिषेक चौहान थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।
4. हे0का0 204 सनवेद सिंह थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।
5. हे0का0 585 योगेन्द्र सिंह थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।
6. हे0का0 579 विवेक तोमर थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।